

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजस्वगत, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।
- v) उपर्युक्त जमा करवाने की सम्बन्धित शर्तों के आवेदक की समी

एकल श्रेणी केवल आवासीय भूखण्ड  
कार्यालय नगर निगम, जोधापुर

आवेदन क्रमांक 933 दिनांक 18/03/2021

प्राणी लखाराम परेल पुत्र श्री भोलीलाल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय स. नं. 132 पूर्वी चालू रोड  
भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश की जावती की टाणी

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 30811-00 का  
जरिये रसीद संख्या 90621 67 23 64 29  
दिनांक 18/03/2021 को जमा करा दी है ।

19/3/2021

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधापुर

दक्षिण